संख्या- 3/2018/23/सत्रह-म-2018-6-9(180)/2013

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
मत्स्य विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 02 फरवरी,2018**

विषय : राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु गुणवत्तायुक्त मत्स्य अंगुलिका एवं मत्स्य पूरक आहार आपूर्ति हेतु परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत मार्ग- निर्देश /गाइड लाइन्स में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के आदेश संख्या- 1662/ सत्रह-म-2013-6-9(180)/2013 दिनांक 22 अगस्त, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मत्स्य बीज एवं पूरक आहार के माध्यम से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि की योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्ग- निर्देश /गाइड लाइन्स निर्गत की गयी थी।

2- अवगत कराना है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु गुणवत्तायुक्त मत्स्य अंगुलिका एवं पूरक आहार आपूर्ति परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक-22.08.2013 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों में निम्नवत व्यवस्था प्राविधानित है –

" मत्स्य बीज एवं मत्स्य पूरक आहार की आपूर्ति हेतु मत्स्य निदेशालय स्तर पर गठित उर्पाजन समिति द्वारा द्वारा नियमानुसार निविदा आमत्रिंत करते हुए मूल्य निर्धारण की कार्यवाही की जायेगी एवं तदनुसार सम्बधित जनपदों द्वारा सम्बधित फर्मो को आपूर्ति आदेश निर्गत करते हुए आपूर्तित मत्स्य बीज एवं पूरक आहार के मूल्य का भुगतान किया जायेगा।"

3- उल्लेखनीय है कि वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011 टी0 सी0-II दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/ RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये है। इसी प्रकार भारत सरकार के पत्र संख्या-1-11011/58/2013–डी0बी0टी0 दिनांक 25.02.2015 द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रान्सफर किये जाने के निर्देश दिये गये हैं । कृषि विभाग द्वारा उपरोक्त के के क्रम में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मत्स्य बीज एवं पूरक आहार के माध्यम से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि योजना हेतु स्वीकृत धनराशि को डी0बी0टी0 के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रान्सफर किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा मत्स्य विभाग से की गयी है।

4- अत: शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु गुणवत्तायुक्त मत्स्य अंगुलिका एवं पूरक आहार आपूर्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-1662/ सत्रह-म-2013-6-9(180)/2013 दिनांक 22 अगस्त,2013 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों में मत्स्य बीज एवं पूरक आहार की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित करते हुए मूल्य निर्धारण की प्राविधानित व्यवस्था को संशोधित करते

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

हुए उसके स्थान पर डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैक खाते में ट्रान्सफर किये जाने की व्यवस्था को अपनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

5- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मत्स्य बीज एवं पूरक आहार योजना के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या -1662/ सत्रह-म-2013-6-9(180)/2013 दिनांक 22 अगस्त,2013 द्वारा निर्गत मार्ग-निर्देश/ गाइड लाइन्स उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी तथा शेष प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

भवदीय

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

संख्या- 3/2018/23/सत्रह-म-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- प्रमुख सचिव, कृषि विभाग उ0 प्र0 शासन।
2- स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त उ0प्र0 शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त,उ0प्र0।
5- समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0।
6- कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
7- समस्त मुख्य विकास अधिकारी उ0प्र0।
8- संयुक्त निदेशक मत्स्य,मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया समस्त मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों को अपने स्तर से सूचित करने का करें।
9- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
10-समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक मत्स्य उ0प्र0।
11- न्याय अनुभाग-6/नियोजन अनुभाग-3/कृषि अनुभाग-3 ।
12-वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।